कल्चरली अधिक बैकवर्ड हैं। इसलिए आरक्षण नीति में इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आरक्षण के लिए SC's की सब-कास्ट्स के सब ग्रुप्स बनाना जरूरी है।

आंध्र प्रदेश और अन्य सदन स्टेट्स में SC's की कुछ मेजर सब-कास्ट्स , जैसे मादिगा, सबसे बैकवर्ड है और माला और अन्य कास्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा सोशल इनजस्टिस की शिकार हैं। कुछ स्टेट्स में ऐसी सब-कास्ट्स को भी शैडयूल्ड कास्ट में शामिल किया गया है, जिनसे छूआछूत नहीं किया जाता है। कई स्टेट्स में इन्हीं सब-कास्ट्स का अदर बैकवर्ड कास्ट्स माना जा रहा है। आजादी से पहले की रियासतों की तरह आज भी अलग-अलग स्टेट्स में इस मामले में अलग-अलग स्थिति है। 1948 में जब इंडियन कांस्टिटयूशन का ड्राफट बना था, तब सभी राज्यों में शैडयूल्ड कास्ट्स को एक यूनिट मान लिया गया था। आन्ध्र प्रदेश में एससीज की दो मेजर सब-कास्ट्स हैं, माला और मादिगा और अन्य 57 सब-कास्ट्स हैं। इनका ए , बी, सी एवं डी ग्रुप्स में क्लासीफिकेशन किया गया था, जो सन् 2000 से 2004 तक, यानि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे खत्म किए जाने तक लागू रहा। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे यह कह कर खत्म कर दिया था कि ऐसा क्लासिफिकेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स एम्पावार्ड नहीं हैं।

इन चार सालों में मादिगा और इसकी कई अन्य सब-कास्ट्स के स्टुडेंट्स को भी प्रोफेशनल कॉलेजिज् में भारी पैमाने पर सीट्स मिली, नौजवानों को भारी पैमाने पर जॉब्स मिलें, प्रोमोशन मिले, जिसकी कल्पना वे बिना क्लासिफिकेशन के अलग 50 सालों में भी नहीं सकते थे। ये सारे फैक्ट्स रिकॉर्ड में हैं। शेडयूल्ड कास्ट के सब ग्रुप्स को अपनी सोशल बैक्वर्डनेस और आबादी के प्रोपोर्शन के मुताबिक रिजर्वेशन में अपना वाजिब हिस्सा मिल सके, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्वेशन के पर्पज मे अपनी एससी आबादी के सब-ग्रुप्स बनाने के लिए एम्पावर करने के लिए शीघ्र जरूरी कॉस्टीटयूशनल एमेंडमेंट बिल लाएं।

Concern over Naxalite Violence in Chhattisgarh

श्री श्रीगोपाल व्यास (छतीसगढ़): माननीय उपसभापति जी, संसद में मैं पहली बार आया हूं और आपने मुझे विशेष उल्लेख करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका अभारी हूं। मेरा विषय नक्सली हिंसा है, जिसका उल्लेख अभी-अभी माननीय गृह मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किया था।

माननीय उपसभापति जी, मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। वहां बस्तर में नक्सली हिंसा नित्य की बात हो गई है। अभी 13 मई को भी बस्तर में चार लोग मरे व पांच घायल हुए हैं। सरकार समस्या से निपटने का प्रयास कर रही है। बस्तर के स्थानीय बंधुओं ने स्वयं भी एक अभूतपूर्व प्रतिकार आन्दोलन चलाया है, जिसे वहां की सरकार संरक्षण दे रही है और प्रतिपक्ष के नेता का भी समर्थन

है। वह बस्तर के ही हैं। यह हिंसा और अराजकता भारत के अनेक राज्यों में व्याप्त है। स्थिति की गंभीरता को देख कर माननीय प्रधान मंत्री जी ने संबंधित राज्यों की बैठक ली है। इस प्रवृत्ति को कोई बंगाल में उदित कुछ बातों से, कोई आन्ध से तो कोई नेपाल व श्रीलंका से जोड़ते हैं, तो कोई बांग्लादेशी घुसपैठ का भी अनुभव करते हैं। कोई उसे राजनैतिक वादों से भी जोड़ते हैं, मैं आज इन विवादों में नहीं पड़ना चाहता, परन्तु मुझे लगता है कि इस हिंसा की समस्या को रोकने के लिए केन्द्र सरकार को सक्रिय कदम उठाने चाहिए तथा इस कार्य में सभी राजनैतिक दलों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री रूद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): सर, मैं इस विशेष उल्लेख का समर्थन करता हूं।

Concern over Lack of Discipline in the Security Force and Police Personnel

श्री अजय मारू (झारखंड): उपसभापति महोदय, हाल में सुरक्षा बलों ओर पुलिसकर्मियों से संबंधित कुछ आंकड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए है। एक रिपोर्ट के अनुसार गत् वर्ष, यानी 2005 में दिल्ली पुलिस के 6, सीआरपीएफ के 13 तथा अन्य सुरक्षा बलों 24 से अधिक जवानों ने आत्महत्या कर ली। ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि सुरक्षा बल के किसी जवान ने अपने साथी या वरिष्ठ अधिकारी को गोली मार कर खुदकशी कर ली।

एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 743 पुलिस कर्मियों पर आपराधिक मामलों में लिप्त रहने के आरोप में मुकदमें चल रहे हैं। इनमें कांस्टेबल से लेकर अधीक्षक तक के पुलिसकर्मी सम्मिलित हैं। इसमें से कई पर डकैती, हत्या, बलात्कार तथा जबरन वसूली के मामले चल रहे है। मुम्बई तथा अन्य शहरों में पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार के कई मामले सामने आए हैं।

इन दोनों रिपोर्टों से यदि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि हमारे सुरक्षा बलों ओर पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के तरीके और काम करने के माहौल में जबर्दस्त खामियां हैं, तो गलत नहीं होगा। कुछ मनोवैज्ञानिकों को कहना है कि इन प्रवृत्तियों के पीछे तनाव व हताशा एक बड़ा कारण है। पुलिस पर अध्ययन करने वाले जस्टिस जी. डी. खोसला ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कई-कई घंटे ड्यूटी देने के बाद पुलिसकर्मी तनाव ग्रस्त होकर विभिन्न विकृतियों के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने स्थिति में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे।

यह एक अत्यंत गंभीर मसला है, क्योंकि जिन पर कानून-व्यवस्था ठीक रखने का दायित्व है, यदि उनमें ही अपराध करने की भावना जागृत हो जाएगी तो इसके परिणामों की सहज कल्पना की जा सकती है। अत: इस पूरे विषय को अत्यंत गंभीरता लेने और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।